

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक-

17/3/2020

विषय- विधि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 13,94,959/- (तेरह लाख चौरानवे हजार नौ सौ उनसठ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 13,94,959/- (तेरह लाख चौरानवे हजार नौ सौ उनसठ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, बांका	Construction Guard Shed, Morcha Shed, Generator Room and Boundary wall between Guard House and Principal Judge Residence in Campus of D.J & P.J Residence in District Banka	258/21.07.16	136390.00 (एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ नब्बे रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	Renovation of D.J. Residence at Aurangabad	2731/15.03. 16	122127.00 (एक लाख बाईस हजार एक सौ सताईस रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, सुपौल	Installation of IRP for Supply of Pure Drinking water in the Campus of Civil Court in Supaul	8331/25.11. 2019	759510.00 (सात लाख उनसठ हजार पाँच सौ दस रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, गया	Construction of Four (4) Help Counter & installation of notice board at Main	4979/19.07. 19	376932.00 (तीन लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बत्तीस

	Building at Gaya	रूपये)
कुल योग:-		1394959.00
(तेरह लाख चौरानवे हजार नौ सौ उनसठ रूपये) मात्र।		

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0105-न्यायाकि भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) विपत्र कोड-03-4059800510105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वसभाजन

*(अमित कुमार)*  
16/3/XX

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2318 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-

*(अमित कुमार)*  
16/3/XX

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2318 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-

*(अमित कुमार)*  
17/3/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

*(अमित कुमार)*  
16/3/XX

सरकार के संयुक्त सचिव।